निगरानी नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रकरण सं0 06/2016 (RCMS 2016/00144) अनवानी सन्तोख सिह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड संख्या 4, शक्ति नगर, पुरानी आबारी, गली नं.1, श्रीगंगानगर बनाम इन्द्रजीत सिंह पुत्र सन्तोख सिह जाति मजहबी सिख निवासी वार्ड संख्या 4, शक्ति नगर, गली नं. 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर 2. नगर परिषद, श्रीगंगानगर जरिये आयुक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.07.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दलबार सिंह बराड़ एव अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा स्वायत्त शासन विभाग राजास्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/5843 दिनांक 10.06.2016 की प्रति पेश करते हुए प्रार्थना की है कि हस्तगत प्रकरण सन्तोख सिंह द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 73(2) के अन्तर्गत के अन्तर्गत आवंटन/अधिकार पत्र क्रमांक नियमन/आवंटन/1999/ 279 के पट्टा में फोर्थ ब्लॉक नया वार्ड संख्या 29/7 में 23X40 फुट क्षेत्रफल का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कब्जा के आधार पर जारी किया गया है, को निरस्त करवाने हेतु पेश की थी और अब चूंकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 80(2) (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73(2)) के अन्तर्गत के प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दिनांक 10.06.2016 की उक्त अधिसूचना द्वारा शक्तियां दी जा चुकी है इसलिए इस न्यायालय को उक्त प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने का अब कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने के लिए लौटाई जाये। प्रार्थी के अधिवक्ता को भी उक्त अधिसूचना के अनुसार सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु लौटाने में कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी संतोख सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह ने उक्त निगरानी दिनांक 17.03.2016 को इस न्यायालय में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 73(2)एवं नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 80(2) के तहत पेश की थी और अप्रार्थी इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह को आवंटित प्लॉट **आवंटन/अधिकार पत्र क्रमांक नियमन/आवंटन/1999/279 के पट्टा में फोर्थ ब्लॉक नया वार्ड संख्या 29/7 में 23X40 फुट क्षेत्रफल को निरस्त करने की प्रार्थना की थी।** पूर्व में उक्त धारा 73(2) के तहत कार्यवाही करने के लिए निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अर्थात जिला कलक्टर को शक्तियां थी किन्तु राज्य सरकार की उक्त **अधिसूचना दिनांक 10.06.2016 से ये शक्तियां प्रत्येक संभाग के संभागीय आयुक्त को दे दी गई है।** इसलिए अब इस प्रकरण में सुनवाई कर निस्तारण करने की अधिकारिता निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को नहीं रहती है। इसलिए उक्त प्रकरण को सक्षम ऑथोरिटी/ न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए लौटाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त **निगरानी सन्तोख सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह बनाम इन्दजीत सिंह वगै(.1) को सक्षम ऑथोरिटी के समक्ष पेश करने हेतु उक्त निगरानी लौटाई जाती है।** इस आश्य का नोट मूल निगरानी पर अंकित कर दिया जावे। **नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को न्यायालय के आदेश की प्रति भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर